न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2192–पीबीआर/14 विरूद्ध सीमांकन पंचनामा दिनांक 30–5–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 खरगोन तहसील खरगोन प्रतिवेदन कमांक क्यू रा.नि./14.

शिवनारायण पिता गेंदालाल
निवासी ग्राम मेनगांव
तहसील एवं जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

विनोद पिता शंकर
निवासी ग्राम मेनगांव
तहसील एवं जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 खरगोन तहसील खरगोन द्वारा पारित सीमांकन पंचनामा दिनांक 30–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, खरगोन के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मेनगांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 18/2 रकबा 1.600 हेक्टेयर का सीमांकन किए जाने हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–12/12–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने के निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30–5–2014 को सीमाकन कर सीमांकन पंचनामा बनाया गया । राजस्व

निरीक्षक के इसी सीमांकन पंचनामा के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक को जारी सूचना पत्र पर उसके नाम के समक्ष अज्ञात अविनाश का नाम लिखा है, जो न तो परिवार का सदस्य है, और न ही उसके साथ शामिल शरीक रह रहा है । सूचना पत्र पर तामील करने वाले सूचना पत्र वाहक की कोई रिपोर्ट भी नहीं लगी है, अतः आवेदक को विधिवत सूचना नहीं दिये जाने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) चूंकि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन कर अनावेदक की भूमि आवेदक की भूमि में निकलना बतलाई गई है, अतः आवेदक के हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उसके पीठ पीछे किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत बने नियमों के नियम 3–ग के अंतर्गत आवेदन पत्र में सर्वे मानांक अथवा उपखण्ड अथवा लाट कमांक दर्शाने वाला विवरण होना चाहिए, जो नहीं दिया गया है, अतः अनावेदक का आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है ।

(4) पुराने नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में भिन्नता होने के बावजूद आवेदक की अनुपस्थिति का लाभ लेकर अनावेदक द्वारा सीमांकन कराया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक को राजस्व निरीक्षक द्वारा सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का बिना अवसर दिये एकपक्षीय सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 30–5–2014 को किए जाने संबंधी सूचना पत्र 5 व्यक्तितयों को जारी किया गया है, जिसमें गेंदालाल, धनु, समोती व रमोती पिता मांगीलाल एवं आवेदक शिवनारायण जारी सूचना पत्र प्राप्त करने के हस्ताक्षर किसी अविनाश द्वारा किए गए हैं । इसके अतिरिक्त सूचना पत्र की तामीली किसके द्वारा

कराई गई है, इस संबंध में भी कोई टीप सूचना पत्र में अंकित नहीं है । अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में पूर्ण बल है कि उसे जारी सूचना पत्र की तामीली अविनाश पर कराई गई है, जो कि न तो उनके परिवार का सदस्य है, और न ही उनके साथ निवास करता है एवं आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की विधिवत सूचना आवेदक को दिये बिना सीमांकन कार्यवाही की गई है । सीमांकन में अनावेदक की भूमि आवेदक का अवैध कब्जा दर्शाया गया है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही अवैध एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 खरगोन तहसील खरगोन द्वारा दिनांक 30–5–2014 को बनाया गया सीमांकन पंचनामा एवं सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 9–6–2014 निरस्त की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना देकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर